भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4710

29 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्र का विनिवेश

4710. श्री ए. राजा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेल के सेलम स्थित इस्पात संयंत्र के प्रस्तावित विनिवेश की स्थिति क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु अनुमति नहीं दे रहा है और सभी खाली पड़ी भूमि राज्य को वापस लौटाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि यह रियायती दर पर दी गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंधी में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या श्रमिक मुद्दों को श्रमिक संघों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 27.10.2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक इकाई-सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सेलम के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया था। दिनांक 04.07.2019 को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओई) आमंत्रित की गई और बहुत-सी ईओई प्राप्त हुई हैं। यह कार्रवाई अभी भी चल रही है और फिलहाल चरण-II स्तर पर है।

(ख): सेलम इस्पात संयंत्र के रणनीतिक विनिवेश के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार की सहमति नहीं माँगी गई है।

(ग): ऊपर (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): श्रम संघों सहित मौजूदा कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों की उचित चिंताओं को विनिवेश प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त तरीके से दूर किया जाता है।

****